

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यालय अतिरिक्त जिलाधीष/प्रथम अपील अधिकारी (उ.पू.)
उपायुक्त कार्यालय परिसर, नन्द नगरी, दिल्ली -110093.
फोन नं० 22115490 (फैक्स) 22115513

सं. पीए/ए.डी.एम./उ.पू./आर.टी.आई./अपील/64/2014/ 158-160

दिनांक: 11/5/15

श्री रामेश्वर शर्मा, अपीलकर्ता
बनाम

जन सूचना अधिकारी/सब-रजिस्ट्रार-IV


आदेश

उपस्थित:- श्री बाबू लाल बैरवा, जन सूचना अधिकारी/सब-रजिस्ट्रार -IV
श्री हरीओम शर्मा, याचिकाकर्ता

दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया ।

जन सूचना अधिकारी/सब-रजिस्ट्रार-IV, जिला उ.पू., दिल्ली को यह आदेश दिया जाता है कि जब याचिकाकर्ता जबाब से संतुष्ट नहीं है तो याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका प्रदान करें और उनको संतोषजनक सूचना, नियमानुसार उपलब्ध करवाएं ।

अतः इस अपील का निस्तारण किया जाता है ।


(डॉ. नवलेन्द्र कुमार सिंह)
प्रथम अपील अधिकारी/ए.डी.एम. (उ.पू.)


अपीलकर्ता इस आदेश के विरुद्ध धारा 19(3) जन सूचना अधिकार 2005 के तहत 90 दिन के बाद द्वितीय अपील केन्द्रीय जन सूचना आयोग, ब्लाक -4 पुराना जे. एन. यू. परिसर नई दिल्ली में कर सकता है।

सं. पीए/ए.डी.एम./उ.पू./आर.टी.आई./अपील/64/2014/

दिनांक:

प्रतिलिपि:-

1. श्री हरीओम शर्मा, याचिकाकर्ता, चैम्बर नं. डी-721, कडकडडूमा कोर्ट काम्पलेक्स, दिल्ली
2. जन सूचना अधिकारी/सब-रजिस्ट्रार-IV, जिला उ.पू. दिल्ली
3. डी.आई.ओ., एन.आई.सी. जिला उ.पू. दिल्ली को इस आदेश के साथ कि यह सूचना वेबसाइट पर अपलोड करवा दें


(डॉ. नवलेन्द्र कुमार सिंह)
प्रथम अपील अधिकारी/ए.डी.एम. (उ.पू.)